[2021] 11 एस सी आर 350

एम/एस। जय बालाजी उद्योग

बनाम

डी. के. मोहंती और ए. एन. आर.

(2021 की सिविल अपील संख्या 5899)

1 अक्टूबर, 2021

[दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 8 , 9 , 62 - मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-अपीलार्थी और

उत्तरदाता नं। 2 समझौता ज्ञापनों में प्रवेश किया, जिसके तहत प्रतिवादी नं। 2 अपीलार्थी को प्रति माह 1 लाख और 7 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क की आपूर्ति करने के लिए सहमति व्यक्त की गई-आवश्यक आपूर्ति और भुगतान के संबंध में पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ-मध्यस्थता खंड लागू किया गया-मध्यस्थता पुरस्कारों में प्रतिवादी कंपनी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था-प्रतिवादी कंपनी ने यू/एस याचिका दायर की। 34 1996 के अधिनियम, जिसे जिला न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था-उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी 1996 के अधिनियम की धारा 37-2 पर, प्रत्यर्थी की गैर-उपस्थिति के लिए अपीलों को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था

प्रत्यर्थी ने पुनर्स्थापना आवेदन दायर किए-इन आवेदनों को उच्च न्यायालय द्वारा 02.03.2020 पर अनुमति दी गई थी-अपील की इस तरह की पुनर्स्थापना से पहले, अपीलार्थी ने दो मांग नोटिस भेजे थे 14.02.2020 पर 2016 कोड की धारा 8-अपीलार्थी ने एन. सी. एल. टी. यू/एस. को स्थानांतरित किया। 9 प्रत्यर्थी कंपनी के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने की मांग-एन. सी. एल. टी. ने लिया यह देखें कि जिस दिन अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी यू/एस को मांग नोटिस दिए थे। 8 और वह तिथि जब आवेदन यू/एस। 9 दाखिल किया गया था, कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी और इसलिए कोई विवाद लंबित नहीं था

इसलिए, एन. सी. एल. टी. ने अपीलार्थी द्वारा किए गए आवेदनों को स्वीकार किया

यू / संहिता की धारा 9 एक परिचालन लेनदार के रूप में अपनी क्षमता में; प्रत्यर्थी कंपनी के संबंध में सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की-हालांकि, एन. सी. एल. ए. टी. ने माना कि मांग नोटिस जारी करने से पहले एक विवाद मौजूद था और बहाली के लिए आवेदन अपीलकर्ता-परिचालन लेनदार को अग्रिम नोटिस के साथ दायर किए गए थे-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: तथ्यों पर, यह निर्विवाद है कि भले ही 22.11.2019 पर डिफ़ॉल्ट रूप से अपील खारिज कर दी गई हो, प्रतिवादी कंपनी ने वास्तव में अपीलार्थी को अग्रिम सूचना के साथ 17.12.2019 पर बहाली के लिए एक आवेदन भेजा-इस प्रकार, मांग नोटिस जारी करने की तारीख पर

(i.e.14.02।2020) , अपीलार्थी अच्छी तरह से जानता था कि यू/एस अपील करता है। 37 1996 के अधिनियम के गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया था-अपील की बहाली के लिए आवेदन का यह प्रस्ताव 1996 के अधिनियम की धारा 37 और

350 एम/एस। जय बालाजी इंडस्ट्रीज बनाम। डी. के. मोहंती और ए. एन. आर.

इसे प्रचालन ऋणदाताओं के ध्यान में लाना मामले को 'पूर्व-विद्यमान विवाद' के चार कोनों के भीतर लाने के लिए पर्याप्त है, ताकि प्रचालन ऋणदाता द्वारा दिवाला समाधान की मांग करने के किसी भी प्रयास को नकार दिया जा सके-इसके अलावा, अपील की डिफ़ॉल्ट बर्खास्तगी को केवल आंशिक ग्रहण के रूप में माना जा सकता है, जो क्षणिक रूप से विवाद को निष्क्रियता में डाल देता है-जब अपील की बहाली दी जाती है, तो यह

निश्चित रूप से विवाद को फिर से सक्रिय करता है-संहिता के उद्देश्य और योजना में, बहाली के लिए एक आवेदन की लंबितता भी मामले को "पूर्व-मौजूदा विवाद" के चार कोनों के भीतर लाने के लिए पर्याप्त है-अपीलार्थी द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए दायर आवेदनों को एस. के संदर्भ में अस्वीकार करने की आवश्यकता थी। 9 (5) (ii) 2016 की संहिता का (घ)-एन. सी. एल. ए. टी. ने उनके द्वारा पारित आदेशों को सही ढंग से दरकिनार कर दिया था।

एनसीएलटी।

मोबिलॉक्स इनोवेशन्स प्रा. लिमिटेड वी. किरासा सॉफ्टवेयर प्रा. लि.

लि. : (2018) 1 एससीसी 353: [2017] 10 एससीआर 1006; स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और

ओआरएस। : (2019) 4 एससीसी 17: [2019] 3 एस. सी. आर. 535-पर निर्भर।

के. किशन बनाम विजय निर्माण कंपनी प्रा. लि. : (2018)

17 एससीसी 662: [2018] 10 एस. सी. आर. 959; वरिद जैकब बनाम।

सोसम्मा गीवर्गीस और अन्य। : (2004) 6 एससीसी 378:

[2004] 1 पूरक। एस. सी. आर. 534; अड्डगडा राघवम्मा और

एन. आर. वी. अड्डागाडा चेनचम्मा और अन्र। : ए. आई. आर. 1964 एससी

136 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 10 एससीआर 959

पैरा 7.3

संदर्भित किया गया है

[2017] 10 एससीआर 1006

उस पर भरोसा करें

पैरा 8.2

[2004] 1 पूरक। एससीआर 534

संदर्भित किया गया है

पैरा 8.2

[2019] 3 एससीआर 535

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.5899

2021 .

राष्ट्रीय संविधान के 17.08.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.889 में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

के साथ 2021 की सिविल अपील No.5904

दिवाकर माहेश्वरी, करुण मेहता, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

[2021] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

आदेश

1. दिवाला की धारा 62 के तहत इन अपीलों के माध्यम से और

दिवालियापन संहिता, 2016,1 अपीलकर्ता, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 2 कंपनी का एक परिचालन लेनदार कहा जाता है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित सामान्य आदेश दिनांक 17.08.2021, कंपनी अपील (AT) (दिवाला) संख्या 888/2020 और कंपनी अपील (AT) (दिवाला) संख्या 889/2020 पर सवाल उठाना चाहता है, जिसके तहत अपीलीय न्यायाधिकरण, यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया प्रचालन ऋण पूर्व-विद्यमान विवाद से मुक्त नहीं था, प्रत्यर्थी संख्या 2 कंपनी के संबंध में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपीलार्थी द्वारा किए गए आवेदन को स्वीकार करने में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, कोलकाता पीठ, कोलकाता द्वारा पारित दिनांक 3 के आदेशों को दरकिनार कर दिया गया।

2. उठाए जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी के दावे से संबंधित सभी तथ्यात्मक पहलुओं पर विस्तार से और

प्रत्यर्थियों द्वारा उठाया गया विवाद आवश्यक नहीं है। प्रासंगिक पृष्ठभूमि का केवल एक संक्षिप्त संदर्भ ही पर्याप्त होगा।

3. अपीलार्थी एम/एस। जय बालाजी इंडस्ट्रीज इसमें लगी हुई है

लोहा और इस्पात उत्पादों के निर्माण और आपूर्ति का व्यवसाय, जिनके संयंत्र पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों में हैं। 5 प्रतिवादी संख्या 2 उड़ीसा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है। लौह अयस्क बेचने के व्यवसाय में लगे हुए, जिनकी खदानें उड़ीसा राज्य में हैं। 6 प्रत्यर्थी संख्या 1 इसके प्रबंध निदेशक हैं।

कंपनी।

3.1 . अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों ने दो भागों में प्रवेश किया

13.08.2003 और 11.03.2004 पर समझौता ज्ञापन, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलार्थी को प्रति माह क्रमशः 1 लाख और 7 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की। झगड़ा हो गया

1 इसके बाद इसे 'आई. बी. सी.' या 'कोड' भी कहा जाता है।

2 इसके बाद इसे 'एन. सी. एल. ए. टी.' या 'अपीलीय न्यायाधिकरण' भी कहा जाता है। 3 इसके बाद इसे 'एन. सी. एल. टी.' या 'न्यायाधिकरण' भी कहा जाता है।

4 ' संक्षेप में सी. आई. आर. पी. '। 5 अपीलार्थी को इसके बाद संदर्भ के अनुसार 'परिचालन लेनदार' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

" 6 प्रतिवादी संख्या 2 कंपनी को इसके बाद संदर्भ के अनुसार 'प्रतिवादी कंपनी' या 'कॉर्पोरेट देनदार' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

7 ' संक्षेप में समझौता ज्ञापन।

एम/एस। जय बालाजी इंडस्ट्रीज बनाम। डी. के. मोहंती और ए. एन. आर.

आवश्यक आपूर्ति और भुगतान के संबंध में पक्षों के बीच, मध्यस्थता खंड को लागू करने के लिए अपीलार्थी और मामले को मध्यस्थता कार्यवाही में लिया गया था।

4. दो अलग-अलग मध्यस्थता पुरस्कार दिनांकित 22.02.2010 और 15.02.2010

अपीलार्थी के पक्ष में संबंधित समझौता ज्ञापनों के संबंध में पारित किए गए थे, जिसके तहत प्रत्यर्थी कंपनी को रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। 4.44 करोड़ और रु। 2.79 क्रमशः करोड़।

4.1 . प्रत्यर्थी कंपनी ने धारा 34 के तहत याचिकाओं के माध्यम से किए गए पुरस्कारों की वैधता और वैधता को चुनौती दी

07.08.2012 पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 1996 का अधिनियम। अपीलें लंबे समय तक लंबित रहीं, लेकिन आई. डी. 1 पर अपीलार्थी (यानी प्रतिवादी कंपनी) की गैर-उपस्थिति के कारण उन्हें डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया। 4.2 . 17.12.2019 पर, प्रत्यर्थी कंपनी ने अपीलों की बहाली के लिए संबंधित आवेदन भेजे; 1 2 और ये आवेदन थे

सुनवाई की तारीख को गैर-उपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण खोजने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा 02.03.2020 पर अनुमति दी गई। नतीजतन, 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत दोनों अपीलों को पुनर्जीवित किया गया और कहा जाता है

अभी तक लंबित है।

5. इस बीच और अपीलों की इस तरह की बहाली से पहले, अपीलार्थी ने संहिता की धारा 8 के तहत दो अलग-अलग मांग नोटिस भेजे।

[दिवाला और दिवालियापन संहिता (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2016 के नियम 5 के साथ पढ़ें] प्रत्यर्थी कंपनी को 14.02.2020 पर, रुपये के परिचालन ऋण का दावा करते हुए। 7,75,13,684 / और रु. 5,62,01,258 / - संबंधित मध्यस्थता पुरस्कारों के तहत, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई अपीलों के लिए।

1 1 11 2012 का एफ. एम. ए. 941 दिनांकित 13.08.2003 और 2012 का एफ. एम. ए. 939 दिनांकित 11.03.2004 समझौता ज्ञापन से संबंधित है। 12 2012 के एफ. एम. ए. 941 में 2019 का सी. ए. एन. संख्या 12338 और 2012 के एफ. एम. ए. 939 में 2019 का सी. ए. एन. संख्या 12333 होना।

[2021] 11

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5.1 . संहिता की धारा 8 (2) (ए) के संदर्भ में, प्रत्यर्थी कंपनी ने 25.02.2020 पर मांग नोटिसों के लिए अपने जवाब भेजे, जिसमें कहा गया था, अन्य बातों के साथ-साथ, कि एक विवाद था और मामला मध्यस्थता कार्यवाही में लंबित था, जो मांग सूचना की प्राप्ति से पहले का था। इस दावे को पुष्ट करते हुए, प्रत्यर्थी कंपनी ने कहा कि अपीलों की बहाली के लिए आवेदन उच्च न्यायालय में लंबित थे, जो मांग नोटिस की प्राप्ति से बहुत पहले दायर किए गए थे।

अपीलार्थी को अग्रिम सूचना। इस प्रकार, प्रतिवादी कंपनी ने जोर देकर कहा,

उपर्युक्त परिचालन ऋणों की और संहिता की धारा 9 के तहत दो आवेदन दायर किए गए। 13 इस स्तर पर ही यह संकेत देना उचित होगा कि एन. सी. एल. ए. टी. ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि ऐसे आवेदन, हालांकि 29.02.2020 पर शपथ ली गई, केवल 02.03.2020 पर दायर की गई थी; हालाँकि, NCLT इस धारणा पर आगे बढ़ा था कि आवेदन 29.02.2020 पर दायर किए गए थे। जैसा कि बाद में देखा जाएगा, संहिता की धारा 9 के तहत ऐसे आवेदन दायर करने की तारीख का मामले में अपना प्रभाव है क्योंकि प्रतिवादी कंपनी की उपरोक्त अपीलों के तहत

1996 के अधिनियम की धारा 37 को उच्च न्यायालय द्वारा 02.03.2020 पर बहाल किया गया था।

7. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अर्थात एन. सी. एल. टी. ने

अपीलार्थी द्वारा संहिता की धारा 9 के तहत अपने दिनांकित सामान्य आदेश द्वारा इस प्रकार किए गए आवेदन; और इस प्रश्न की जांच करने के लिए आगे बढ़े कि क्या 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील उस दिन लंबित थी जिस दिन अपीलार्थी को देय परिचालन ऋण देय हो गया था।

7.1 . एन. सी. एल. टी. ने यह विचार रखा कि जिस दिन अपीलार्थी ने सेवा की थी

संहिता की धारा 8 के तहत प्रत्यर्थी कंपनी को नोटिस की मांग करें और संहिता की धारा 9 के तहत आवेदन दायर करने की तारीख को मध्यस्थता पुरस्कारों को चुनौती देने के लिए कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी और इसलिए,

संबंधित तिथियों पर अपीलार्थी के ऋण के बारे में कोई विवाद मौजूद नहीं था। एन. सी. एल. टी. ने आगे कहा कि हालांकि उच्च न्यायालय 13 सीपी (आईबी) संख्या 676/के. बी./2020 और सीपी (आईबी) संख्या 688/के. बी./2020 होना।

एम/एस। जय बालाजी इंडस्ट्रीज बनाम। डी. के. मोहंती और ए. एन. आर.

धारा 37 के तहत अपीलों की बहाली के लिए आवेदनों की अनुमति दी गई 1996 के अधिनियम के अनुसार, यह देर से किया गया था, केवल 02.03.2020 पर। एन. सी. एल. टी. की प्रासंगिक टिप्पणियों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जा सकता है: -

" 7 ..... 14.02.2020 पर, परिचालन लेनदार ने दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 8 के तहत कॉर्पोरेट ऋणदाता को नोटिस भेजा,

2016. यह कॉर्पोरेट देनदार द्वारा 18/2/2020 पर प्राप्त किया गया था और

कॉर्पोरेट देनदार ने 25.02.2020 दिनांकित पत्र के माध्यम से जवाब दिया। यह

कॉर्पोरेट देनदार के सी. आई. आर. पी. को शुरू करने के लिए आवेदन परिचालन लेनदार द्वारा 29.02.2020 पर दायर किया गया है। उस दिन ए एंड सी अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत कोई अपील लंबित नहीं थी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने 02.03.2020 पर अपील को बहाल कर दिया था।

7.2 . इसके बाद, एन. सी. एल. टी. ने संहिता की धारा 9 (5) (ii) (डी) की आवश्यकताओं और संहिता की धारा 5 (6) के अनुसार "विवाद" अभिव्यक्ति के अर्थ का उल्लेख किया और निम्नानुसार अवलोकन किया:

" 8 ..... इस कार्यवाही में गैर-विवादित तथ्यों के स्पष्ट अध्ययन से यह स्पष्ट है कि जिस तारीख को निगमित देनदार था दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 8 के तहत मांग नोटिस के साथ या जिस तारीख को कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ आवेदन दायर किया जाता है, पुरस्कार को चुनौती देने वाली कोई मध्यस्थता कार्यवाही लंबित नहीं थी।

7.3 . एन. सी. एल. टी. ने के. किशन बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया। विजय निर्माण कंपनी प्रा. लि. : (2018) 17 एस. सी. सी. 662 और यह देखा गया कि इसमें उद्घोषणाएँ संचालित होती हैं

प्रचालन ऋणदाता का पक्ष, क्योंकि प्रचालन ऋण देय और देय हो गया था जब जिला न्यायाधीश द्वारा पुरस्कार की पुष्टि की गई थी; और भले ही कॉर्पोरेट ऋणदाता द्वारा एक अपील दायर की गई थी, उसे चूक में खारिज कर दिया गया था; और ऋणदाता द्वारा अपील खारिज होने के केवल 90 दिनों बाद नोटिस दिया

गया था। एन. सी. एल. टी. ने पुनर्स्थापना के लिए निगमित देनदार के आवेदन में दुर्भावना को भी महसूस किया और कहा कि

अधिकारी कानूनी कार्यवाही का उपयोग या तो देरी करने या वैध बकाया से बचने के लिए कर रहे थे। एन. सी. एल. टी. ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया: -

" 10. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि यह दिखाया जाता है कि ए एंड सी अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन लंबित है या अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील लंबित है, तो दिवालिया कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। इस मामले में, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 9 के तहत इस आवेदन को दाखिल करने की तारीख पर, धारा 34 या [2021] 11 एस. सी. आर. के तहत कोई कार्यवाही नहीं होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील तब परिचालन लेनदार के खिलाफ लंबित थी (हालांकि अपील का बहाली आवेदन लंबित था)। इसलिए तथ्यों पर, हम मानते हैं कि उपरोक्त निर्णय कॉर्पोरेट के बजाय परिचालन लेनदार के पक्ष में है।

देनदार। संक्षेप में, परिचालन ऋण देय हो जाता है और 29.02.2012 पर देय हो जाता है, अर्थात जिस तारीख को विद्वान जिला न्यायाधीश ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत पुरस्कार की पुष्टि की। कॉर्पोरेट देनदार ने अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील दायर की। इसे डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। 90 इसके कुछ दिनों बाद, 14.02.2020 पर, परिचालन लेनदार ने दिवाला की धारा 9 के तहत कॉर्पोरेट देनदार को नोटिस दिया।

और दिवालियापन संहिता, 2016। 28.02.2020 (sic) पर।

11. उपरोक्त तथ्यों से हमें जो मिला वह यह है कि परिचालन लेनदार ने निगम के तीन महीने बाद मांग नोटिस भेजा था।

ऋणी की अपील को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। जैसे ही कॉर्पोरेट देनदार को मांग का नोटिस मिला, उसके अधिकारी हरकत में आ गए और अपील को बहाल करवा लिया। इस बीच,

परिचालन लेनदार ने यह आवेदन दायर किया था। अभिलेखसँ ई प्रतीत होइत अछि जे निगमित ऋणदाताक अधिकारीसभ कार्यवाहीक उपयोग करैत छथि।

कानून के तहत या तो देरी करने के लिए या एक या दूसरे आधार पर कॉर्पोरेट देनदार के वैध बकाया से बचने के लिए। ”

7.4 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एन. सी. एल. टी. ने माना कि निगमित देनदार ने परिचालन ऋणों के भुगतान में चूक की थी। मांग सूचना की प्राप्ति; और यह कि मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से या अन्यथा, उस तारीख को कोई विवाद लंबित नहीं था जिस दिन चूक हुई थी या जिस तारीख को कॉर्पोरेट देनदार का सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया गया था। इन टिप्पणियों के साथ, एन. सी. एल. टी. ने एक परिचालन लेनदार के रूप में अपनी क्षमता में संहिता की धारा 9 के तहत अपीलकर्ता द्वारा किए गए आवेदनों को स्वीकार किया; प्रतिवादी कंपनी के संबंध में सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की; अधिस्थगन घोषित किया; अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया; और आगे के परिणामी निर्देश जारी किए।

8. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा इस प्रकार पारित आदेशों से व्यथित होने के कारण, वर्तमान उत्तरदाताओं ने संहिता की धारा 61 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के समक्ष संबंधित अपीलों को प्राथमिकता दी, जिसमें तर्क दिया गया कि संहिता की धारा 9 के तहत आवेदन

वास्तव में केवल आई. डी. 1 पर दायर किए गए थे, लेकिन उस तारीख को उच्च न्यायालय द्वारा अपीलों को बहाल कर दिया गया था और इस तरह की बहाली अपील दायर करने की तारीख से संबंधित थी। दूसरी ओर, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि मांग नोटिस जारी करने की तारीख को एम/एस।

जय बालाजी इंडस्ट्रीज बनाम। डी. के. मोहंती और ए. एन. आर.

मामला। 8.1 . अपीलीय न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित शब्दों में प्रतिद्वंद्वी विवादों के मूल पर ध्यान दिया: -

" 6. इसके बाद, पुनर्स्थापना के लिए आवेदन, जो 17.12.2019 पर दायर किया गया था, उसे 02.03.2020 पर पुनर्स्थापित किया गया। यह परिचालन का मामला है

लेनदार 'कि' मांग सूचना जारी करने की तारीख को संहिता की धारा 8 के तहत यानी 14.02.2020 पर कोई मध्यस्थता कार्यवाही लंबित नहीं थी, क्योंकि धारा 37 के तहत अपील केवल 02.03.2020 पर बहाल की गई थी। इन प्रस्तुतियों के विपरीत, 'कॉर्पोरेट देनदार' का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान सॉलिसिटर जनरल

प्रस्तुत किया कि एक बार बहाली के लिए आवेदन की अनुमति दिए जाने के बाद, यह दाखिल करने की मूल तिथि से संबंधित है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 9 आवेदन की पुष्टि 29.02.2020 पर की गई थी, लेकिन वास्तव में 02.03.2020 पर दायर किया गया था और इसलिए आवेदन दाखिल करने की तारीख तक, अपील को पहले ही बहाल कर दिया गया था।"

8.2 . एन. सी. एल. ए. टी. ने मोबिलॉक्स इनोवेशन प्राइवेट के मामले में इस अदालत के फैसले का उल्लेख किया। लिमिटेड वी. किरासा सॉफ्टवेयर प्रा. लि. लिमिटेड: (2018)

1 एस. सी. सी. 353 और, उसमें प्रतिपादित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़े कि क्या मांग सूचना प्राप्त होने की तारीख को विचाराधीन ऋण के संबंध में कोई पूर्व-विद्यमान विवाद था। इसके बाद, एन. सी. एल. ए. टी. ने वरिद जैकब बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित किया। सोसाम्मा गीवर्गीस और अन्य। : (2004) 6 एस. सी. सी. 378, यह अवलोकन करने के लिए कि उसमें बहुमत के दृष्टिकोण के अनुसार, एक बार अपील को उसकी मूल संख्या में बहाल कर दिया जाता है, तो उसमें अंतर्वर्ती आदेश तब तक पुनर्जीवित होते हैं जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया जाए। इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, एन. सी. एल. ए. टी. ने कहा कि 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील को बहाल करने के बाद, यह निम्नलिखित शब्दों में दाखिल करने की मूल तिथि से संबंधित है: -

" 9. बहुमत के निर्णय से जो प्राप्त किया जा सकता है वह यह है कि अपील को उसकी मूल संख्या में बहाल करने पर, अपीलार्थी को उस स्थिति में बहाल कर दिया जाता है जब न्यायालय ने शुरू में चूक के लिए अपील को खारिज कर दिया है, जब तक कि न्यायालय स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से दोनों के बीच की अवधि के दौरान पारित किसी भी आदेश के संचालन को बाहर नहीं करता है।

पुनर्स्थापना को रद्द करना।

[2021] 11

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. अल्पमत के दृष्टिकोण पर विद्वान वकील ने भरोसा किया

'परिचालन लेनदार' के लिए उपस्थित होना इस मामले में लागू नहीं होता है। बाध्यकारी न्यायिक पूर्ववर्ती बहुमत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण है। यह न्यायालय का नियम है। को ध्यान में रखते हुए

पूर्वनिर्दिष्ट निर्णय में निर्धारित अनुपात की व्याख्या कि एक बार अपील को उसकी मूल संख्या में बहाल कर दिए जाने के बाद, यह तथ्य कि अंतर्वर्ती आदेश तब तक पुनर्जीवित रहेंगे जब तक कि अन्यथा नहीं

निर्देश दिया जाता है, अपीलार्थी के मामले को और मजबूत करता है। हमारा विचार है कि 'वड़ीद जैकब' (सुप्रा) के बहुमत के दृष्टिकोण का अनुपात इस मामले के तथ्यों पर लागू होता है और इसलिए, हमारा मानना है कि ए एंड सी अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत एक बार अपील बहाल हो जाने के बाद, यह दाखिल करने की मूल तारीख से संबंधित है।

8.3 . पुरस्कार के निष्पादन के लिए कार्यवाही के लंबित होने के प्रभाव के बारे में एक सवाल भी सामने आया, जिस पर, एन. सी. एल. ए. टी. ने कहा कि यदि धारा 37 के तहत अपीलों का फैसला किया गया

था तो निष्पादन चित्र में आ जाएगा; और 'धन वसूली' और 'दिवालिया होने की शुरुआत' समानांतर कार्यवाही नहीं थीं। एन. सी. एल. ए. टी. ने यह भी देखा कि वास्तव में, आई. बी. सी. वसूली कार्यवाही को हतोत्साहित करता है और इस संहिता का उपयोग डिक्री या धन वसूली के निष्पादन के लिए करने की प्रथा है।

अस्वीकृत।

8.4 . आगे बढ़ते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण ने धारा 8 का उल्लेख किया

संहिता और यह मत व्यक्त किया कि आवश्यकता यह देखने की थी कि क्या वाद या मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने का कोई विवाद या रिकॉर्ड मौजूद है; और वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में,

इसका अर्थ यह हुआ कि मांग नोटिस जारी करने से पहले एक विवाद मौजूद था। यह भी देखा गया कि बहाली के लिए आवेदन परिचालन लेनदार को अग्रिम सूचना के साथ दायर किए गए थे। यह कहने के बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण ने मोबिलॉक्स इनोवेशंस और के. किशन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की घोषणाओं का उल्लेख किया और कहा कि यह मांग नोटिस जारी करने से पहले पक्षों के बीच पहले से मौजूद विवाद का एक स्पष्ट मामला था और इसलिए, परिचालन ऋण को निर्विवाद नहीं कहा जा सकता है। अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) की टिप्पणियों और निष्कर्षों के प्रासंगिक भाग को अपने विवादित सामान्य आदेश दिनांक 17.08.2021 में उपयोगी रूप से निम्नानुसार निकाला जा सकता है: -

" 15. धारा 8 (2) (ए) में यह प्रावधान है कि विवाद का अस्तित्व, [यदि कोई हो, या] वाद या मध्यस्थता के लंबित होने का रिकॉर्ड। ऐसे विवाद के संबंध में ऐसी सूचना या चालान की प्राप्ति से पहले दायर की गई कार्यवाही। शुरू में, क्या देखना है एम/एस।

जय बालाजी इंडस्ट्रीज बनाम। डी. के. मोहंती और ए. एन. आर.

'विवाद का कोई अस्तित्व है या नहीं', 'यदि कोई हो या'

वाद या मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने का अभिलेख। तत्काल मामले में, यह दोनों पक्षों द्वारा एक स्वीकृत तथ्य है कि विवाद बहुत पहले वर्ष 2003 और 2004 में उत्पन्न हुए थे, और समझौता ज्ञापन की शर्तों के आधार पर, 'परिचालन लेनदार' ने स्वयं मध्यस्थता कार्यवाही का आह्वान किया था। दोनों मध्यस्थ पुरस्कारों पर ए एंड सी अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत 'कॉर्पोरेट देनदार' द्वारा हमला किया गया था और उन्हें क्रमशः 27.02.2012 और 29.02.2012 के अलग-अलग आदेशों द्वारा खारिज कर दिया गया था। धारा के तहत 'कॉर्पोरेट देनदार' द्वारा पसंद की गई अपीलें

37 ए एंड सी अधिनियम, 1996 की धारा आई. डी. 1 तक लंबित थी, जिस तारीख को उन्हें गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था। इसलिए भले ही 22.11.2019 को एन. पी. ए. की

तारीख के रूप में लिया जाए जैसा कि 'परिचालन लेनदार' के लिए विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है, तथ्य यह है कि यह बना हुआ है कि उस तारीख तक एक विवाद चल रहा है। यह हो सकता है।

सुरक्षित रूप से यह समझा गया कि मांग सूचना जारी करने से पहले अस्तित्व में एक 'विवाद' था। इसके बाद, धारा 37 के तहत अपील को 02.03.2020 पर बहाल कर दिया गया। 2019 का सी. ए. एन. संख्या 12333 की बहाली के लिए आवेदन 'कॉर्पोरेट देनदार' द्वारा 'परिचालन लेनदार' को अग्रिम सूचना के साथ 17.12.2019 पर दायर किया गया था। इसके बाद 14.02.2020 पर मांग नोटिस जारी किया गया। आवेदन 02.03.2020 पर दाखिल किया गया था। हम पहले ही देख चुके हैं कि पुनर्स्थापना पर, अपील दाखिल करने की मूल तिथि से संबंधित है और इसलिए हम ध्यान देते हैं कि इससे पहले एक पूर्व-विद्यमान विवाद था

मांग सूचना जारी करने की तिथि।

16. इसे एक संकीर्ण दिशा में देखने और धारा 8 (2) (ए) की व्याख्या करने के लिए कि एक मध्यस्थ पुरस्कार मांग सूचना जारी करने की सही तारीख पर लंबित होना चाहिए, उक्त धारा को गलत समझने/गलत अर्थ लगाने के बराबर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 'मोबिलॉक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड' में कहा। लिमिटेड '(सुप्रा) ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि निर्धारण के लिए परीक्षण

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने के स्तर पर यह देखना है कि क्या कोई प्रशंसनीय विवाद है जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है और यह कि 'विवाद' स्पष्ट रूप से कमजोर कानूनी तर्क या एक तर्क नहीं है।

साक्षय द्वारा असमर्थित तथ्य का दावा। भूसी से अनाज को अलग करना और एक नकली बचाव को अस्वीकार करना महत्वपूर्ण है जो केवल दिखावा है। यह देखा गया है कि [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि क्या

रक्षा के सफल होने की संभावना है जब तक कि वास्तव में एक विवाद मौजूद है

तथ्य और नकली, काल्पनिक या भ्रामक नहीं है। पल भर में

मामले में, मध्यस्थता में एक 'विवाद' का अस्तित्व स्पष्ट है 2004 से 29.11.2019 तक लंबित कार्यवाही।

17. पूर्वनिर्दिष्ट निर्णय में अनुपात पूरी तरह से लागू होता है।

तत्काल मामले के तथ्य के लिए जैसा कि रिकॉर्ड से देखा जा सकता है

कि धारा 8 की सूचना का पूरा आधार यह है कि अपील

ए एंड सी की धारा 37 के तहत 'कॉर्पोरेट देनदार' द्वारा पसंद किया गया अधिनियम, 1996 को 22.11.2019 पर डिफ़ॉल्ट के लिए खारिज कर दिया गया था।

18. ऐसी संभावना है कि 'कॉर्पोरेट देनदार' सफल हो सकता है।

दावे के किसी भी दावे या हिस्से पर। इसलिए, यह अवलोकन करना उचित है

कि यहाँ 'परिचालन ऋण' को एक नहीं कहा जा सकता है

' निर्विवाद ऋण '। 'मोबिलॉक्स इनोवेशन्स' में अनुपात का अनुसरण करते हुए

प्रा. लिमिटेड '(सुप्रा) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब तक

एक विवाद वास्तव में मौजूद है और नकली नहीं है, न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण को आवेदन को खारिज कर देना चाहिए था। इसलिए सभी के लिए इन अपीलों की अनुमति दिए जाने के पूर्व उल्लिखित कारण और

विवादित आदेश को अलग रखा जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। "

(मूल में जोर)

9. दिनांकित उपरोक्त सामान्य आदेश पर सवाल उठाने की कोशिश

17.08.2021 , अपीलार्थी (परिचालन लेनदार) ने संहिता की धारा 62 के तहत इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।

9.1 . अपीलार्थी की ओर से यह दृढ़ता से तर्क दिया जाता है कि -

संहिता की धारा 9 के तहत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए परिचालन लेनदार द्वारा आवेदन की रखरखाव के खिलाफ कार्य करते हुए, मांग सूचना की सेवा से पहले एक विवाद मौजूद होना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संहिता की धारा 8 (2) (ए) की सरल भाषा के अनुसार, विवाद, जैसा कि संहिता की धारा 5 (6) में परिभाषित किया गया है, एक मामले के रूप में सख्ती से मौजूद होना चाहिए।

वास्तव में मांग सूचना की सेवा की तारीख को, जैसा कि मोबिलॉक्स इनोवेशन (उपरोक्त) में समझाया और निर्धारित किया गया है। तर्क यह है कि मांग सूचना के तहत दावे के संबंध में बाद में किसी भी विकास का संहिता की धारा 9 के तहत दायर आवेदन के निर्णय पर असर नहीं पड़ सकता है। संहिता की धारा 8 (2) (ए) के वाक्यांश पर जोर देते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि प्रावधान विशेष रूप से नकारना चाहता है।

और उस चूक राशि के संबंध में किसी भी कार्योत्तर विकास के प्रभाव को रद्द कर देता है जिसके लिए मांग सूचना जारी की गई थी। इसे एम/एस प्रस्तुत किया जाता है।

जय बालाजी इंडस्ट्रीज बनाम। डी. के. मोहंती और ए. एन. आर.

कि वर्तमान मामले में, 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील की बाद में बहाली, मांग नोटिस की सेवा के बाद, संहिता की धारा 9 के तहत दायर आवेदन की रखरखाव पर कोई असर नहीं डाल सकती है। 9.2 . जहां तक 'संबंध वापस' के सिद्धांत का संबंध है, यह तर्क दिया जाता है कि इस सिद्धांत को सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है और किसी भी मामले में,

संहिता की धारा 9 के तहत दायर आवेदन के निर्णय में आवेदन किया गया।

यह भी तर्क दिया जाता है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने गलत तरीके से वरिद जैकब (उपरोक्त) के मामले में बहुमत के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें मामले के तथ्यों पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मुकदमे की बहाली पर अंतरिम आदेश को स्वचालित रूप से पुनर्जीवित किया गया था; और बहुमत के फैसले में ही अन्य टिप्पणियों की सराहना करने में विफल रहा है, यह कहते हुए कि सभी अंतरिम आदेशों को एक ही आधार पर नहीं रखा जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यावधि में अर्जित अधिकारों के कानूनी उपचार से संबंधित मुद्दे, यानी, चूक में कार्यवाही को खारिज करने और बहाली के बीच, से संबंधित वारेद जैकब (उपरोक्त) में अल्पमत के दृष्टिकोण को इस कारण से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि इस तरह के मुद्दे को बहुमत के फैसले द्वारा नहीं निपटाया गया था। इसके अलावा, अड्डगडा राघवम्मा और अन्र के मामले में इस न्यायालय का एक निर्णय। v.Addagada चेनचम्मा और अन्र। : ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 136 को यह प्रस्तुत करने के लिए भी संदर्भित किया गया है कि संबंध वापस करने के सिद्धांत को सीमाओं के बिना लागू नहीं किया जा सकता है, और पूर्व सक्रियता किसी भी निहित अधिकारों को प्रभावित नहीं करनी चाहिए।

10. प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद

अपीलार्थी की ओर से और लागू कानून के संदर्भ में अभिलेख की जांच करने के बाद, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि ये अपीलें पूरी तरह से सारहीन हैं और स्वीकार करने योग्य नहीं हैं। 11. वर्तमान मामले के प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं की समझ में, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता प्रतिवादी कंपनी के खिलाफ दावा करने के कारण खुद को एक परिचालन लेनदार होने का दावा करता है, जो मध्यस्थता कार्यवाही का विषय था और जिसके कारण

इसके पक्ष में मध्यस्थता पुरस्कार। अपीलार्थी के अनुसार, चुनौती

मध्यस्थता पुरस्कारों के तहत दायर अपीलों को खारिज करने के साथ समाप्त हो गया

1996 के अधिनियम की धारा 37 और इसलिए, बकाया राशि के भुगतान की मांग करते हुए नोटिस भेजे गए थे, जिसके लिए कॉर्पोरेट देनदार चूक में था; और मांग नोटिस जारी होने के बाद होने वाली किसी

भी घटना का सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए दायर आवेदनों के निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. हम शुरू में यह देखने के लिए प्रेरित हैं कि पूरा दृष्टिकोण

ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी की याचिका एक बुनियादी गलत धारणा पर आधारित है कि संहिता ने धन वसूली को लागू करने के लिए एक और मार्ग प्रदान किया है।

निगमित देनदार के खिलाफ लेनदार; और प्रत्यर्थी कंपनी के खिलाफ सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए संहिता की धारा 9 के तहत अपने आवेदन को बनाए रखने की मांग करने वाले अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ, आगे बढ़ती हैं।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के उद्देश्य और उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत। स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. के मामले में। वी. भारत संघ और अन्य: (2019)

4 एस. सी. सी. 17, इस न्यायालय ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि अपनी योजना और ढांचे में, संहिता कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक लाभकारी कानून है, न कि लेनदारों के लिए केवल वसूली कानून। इस न्यायालय ने कहा है कि -

" 28.इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कानून का प्राथमिक ध्यान है -

निगमित देनदार का पुनरुद्धार और निरंतरता सुनिश्चित करना

कानून जो कॉर्पोरेट देनदार को अपने पैरों पर खड़ा करता है, नहीं लेनदारों के लिए केवल एक वसूली कानून होना। के हितों

इसलिए निगमित देनदार को विभाजित कर दिया गया है और

इस प्रकार, समाधान प्रक्रिया निगम के लिए प्रतिकूल नहीं है। ऋणी लेकिन, वास्तव में, अपने हितों की रक्षा करता है।

(जोर देने के लिए रेखांकित किया गया)

12.1 . इसके अलावा, जैसा कि हम कुछ समय बाद आवश्यक विवरणों में देखेंगे,

इस न्यायालय ने लगातार यह स्पष्ट किया है कि एक परिचालन लेनदार बाहरी विचारों के लिए या ऋण प्रवर्तन प्रक्रियाओं के विकल्प के रूप में संहिता का उपयोग नहीं कर सकता है और संहिता का उद्देश्य निगमित देनदार के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया को लागू करने की अनुमति देना है।

केवल स्पष्ट मामले में एक परिचालन लेनदार का उदाहरण, जहां कथित ऋण के रूप में पक्षों के बीच वास्तविक विवाद मौजूद नहीं है।

13. जहां तक प्रश्नों पर लागू कानूनी सिद्धांतों का संबंध है,

हम इस न्यायालय के निर्णयों को स्वीकार करने से पहले उपयोगी रूप से कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं।

13.1 . संहिता का भाग II दिवाला समाधान से संबंधित है और

निगमित व्यक्तियों का परिसमापन और उसका दूसरा अध्याय निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित है। एम/एस से संबंधित मूल प्रावधान।

जय बालाजी इंडस्ट्रीज बनाम। डी. के. मोहंती और ए. एन. आर.

प्रचालन लेनदार द्वारा शोधन क्षमता समाधान अनुभागों में निहित हैं

19 कोड से।

इस उद्देश्य के लिए "विवाद" अभिव्यक्ति की समावेशी परिभाषा

आर. टी. II, जैसा कि संहिता की धारा 5 (6) में निहित है, निम्नानुसार है: -

" 5 (6) . " "विवाद" में संबंधित वाद या मध्यस्थता कार्यवाही शामिल है।

को

(क) ऋण की राशि का अस्तित्व;

((ख) माल या सेवा की गुणवत्ता; या

(ग) प्रतिनिधित्व या वारंटी का उल्लंघन;

एक द्वारा दिवाला समाधान से संबंधित प्रासंगिक प्रावधान

राष्ट्रीय लेनदार, जैसा कि संहिता की धारा 8 और 9 में निहित है,

देर: -

परिचालन लेनदार, एक डिफ़ॉल्ट की घटना पर, एक वितरित कर सकता है एक चालान की अवैतनिक परिचालन देनदार प्रति की मांग सूचना

चूक में शामिल राशि के भुगतान की मांग करना

(2) निगमित देनदार, दस दिनों की अवधि के भीतर मांग सूचना की प्राप्ति या इसमें उल्लिखित चालान की प्रति

उप-धारा (1) परिचालन लेनदार के ध्यान में लाएँ

(अ)

विवाद का अस्तित्व, [यदि कोई हो, या] 1 4 विचाराधीनता का अभिलेख रसीद से पहले दायर किए गए मुकदमे या मध्यस्थता कार्यवाही का

ऐसे विवाद के संबंध में ऐसी सूचना या चालान;

अवैतनिक परिचालन ऋण का भुगतान

(ख)

अभिलेख की सत्यापित प्रति भेजकर

((i)

निगमित देनदार के बैंक खाते से अवैतनिक राशि का इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण; या

अभिलेख की एक सत्यापित प्रति भेजकर कि

((ख)

परिचालन लेनदार ने जारी किए गए चेक को भुनाया है

निगमित ऋणी द्वारा।

संहिता की धारा 8 (2) (ए) में अब होने वाली अभिव्यक्ति 'यदि कोई हो, या' को 2018 के अधिनियम 26 w.r.e.f द्वारा उद्धृत किया गया था। 06.06.2018 पहले की अभिव्यक्ति के लिए "यदि कोई हो, हालांकि, इस संशोधन से पहले भी, इस न्यायालय ने मोबिलॉक्स (उपरोक्त) के मामले में विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए" और "के रूप में" या "पढ़ा।

यह प्रावधान।

स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक "मांग सूचना"

इसका अर्थ है एक परिचालन लेनदार द्वारा निगमित देनदार को उस परिचालन ऋण के भुगतान की मांग करते हुए दी गई सूचना जिसके संबंध में चूक हुई है।

9. प्रचालन लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन। - (1) इसके बाद धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत भुगतान की मांग करने वाले नोटिस या चालान के वितरण की तारीख से दस दिनों की अवधि की समाप्ति, यदि परिचालन लेनदार को कॉर्पोरेट देनदार से भुगतान या धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत विवाद की सूचना नहीं मिलती है, तो परिचालन लेनदार एक आवेदन दायर कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत आवेदन ऐसे प्रपत्र और तरीके से और उस शुल्क के साथ दाखिल किया जाएगा जो हो सके - निर्धारित किया गया।

(3) प्रचालन लेनदार आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा।

(अ)

भुगतान या मांग सूचना की मांग करने वाले चालान की एक प्रति प्रचालन लेनदार द्वारा निगमित देनदार को दिया जाना;

(ख)

अवैतनिक के विवाद से संबंधित निगमित देनदार परिचालन ऋण;

वित्तीय संस्थानों से प्रमाण पत्र की एक प्रति

((ग)

परिचालन लेनदार के खातों को बनाए रखना यह पुष्टि करता है कि यदि उपलब्ध हो तो कॉर्पोरेट देनदार द्वारा एक अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं किया गया है;

सूचना उपयोगिता के साथ किसी भी अभिलेख की एक प्रति जो इसकी पुष्टि करती है कि

((घ)

द्वारा एक अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं किया जाता है

निगमित देनदार, यदि उपलब्ध हो; और

(ई)

कोई अन्य प्रमाण जो पुष्टि करता है कि कोई भुगतान नहीं किया गया है

निगमित देनदार या ऐसे द्वारा अवैतनिक प्रचालन ऋण

अन्य जानकारी, जो विहित की जाए।

(4) इस धारा के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने वाला एक परिचालन लेनदार, एक अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए एक समाधान पेशेवर का प्रस्ताव कर सकता है।

एस. जय बालाजी इंडस्ट्रीज बनाम। डी. के. मोहंती और ए. एन. आर.

) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, चौदह दिनों के भीतर

उप-धारा (2) के तहत आवेदन की अधिसूचना, एक आदेश द्वारा

आवेदन स्वीकार करें और इस तरह के निर्णय को सूचित करें

प्रचालन लेनदार और निगमित देनदार यदि,

(क) उप-धारा (2) के तहत किया गया आवेदन है -

पूर्ण;

अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं है;

(ख)

निगम को भुगतान के लिए चालान या सूचना

((ग)

देनदार को परिचालन लेनदार द्वारा वितरित किया गया है;

(घ) प्रचालन लेनदार द्वारा विवाद की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है या सूचना उपयोगिता में विवाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है; और

इनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ई)

उप-धारा (4), यदि कोई हो, के तहत प्रस्तावित कोई समाधान पेशेवर।

ओ आवेदन को अस्वीकार करें और इस तरह के निर्णय को सूचित करें

प्रचालन लेनदार और निगमित देनदार, यदि (क) उप-धारा (2) के तहत किया गया आवेदन है -

अपूर्ण;

(ख) अवैतनिक परिचालन का भुगतान किया गया है।

ऋण;

((ग)

लेनदार ने चालान या नोटिस नहीं दिया है

निगमित देनदार को भुगतान के लिए;

परिचालन द्वारा विवाद की सूचना प्राप्त की गई है

((घ)

लेनदार या सूचना उपयोगिता में विवाद का रिकॉर्ड है; या

(ई)

किसी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है

प्रस्तावित समाधान पेशेवर:

अभिनिर्धारित है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, अस्वीकार करने से पहले

खंड (ii) के उपखंड (क) के तहत अनुलेखन को नोटिस दें

प्लीकेंट सात दिनों के भीतर अपने आवेदन में दोष को ठीक करने के लिए

न्यायनिर्णायक से ऐसी सूचना की प्राप्ति की तिथि

प्राधिकार।

(6) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया उप-धारा के तहत आवेदन स्वीकार करने की तारीख से शुरू होगी।

(5) इस खंड से "।

14. एक परिचालन लेनदार द्वारा दिवाला समाधान के संबंध में संहिता की पूरी योजना शुरू में व्याख्या के लिए आई

इस न्यायालय ने मोबिलॉक्स इनोवेशन्स (उपरोक्त) के मामले में 21.09.2017 पर निर्णय लिया। 14.1 . उस मामले में, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को कुछ काम का उप-अनुबंध किया था और एक गैर-प्रकटीकरण समझौता किया था। द.

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए चालानों के खिलाफ कुछ भुगतानों को रोक दिया और आरोप लगाया कि प्रत्यर्थी की कुछ कार्रवाइयां गैर-प्रकटीकरण समझौते का उल्लंघन कर रही थीं। प्रत्यर्थी द्वारा संहिता की धारा 8 के तहत एक मांग नोटिस भेजा गया था और उसके जवाब में, अपीलार्थी ने कहा कि गंभीर और वास्तविक विवाद मौजूद हैं और नोटिस एक दबाव रणनीति के रूप में जारी किया गया था। इसके बाद, प्रत्यर्थी ने संहिता की धारा 9 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि अपीलार्थी पर परिचालन ऋण बकाया था। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इस आवेदन को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि दावा

14.2 . उपरोक्त पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने संहिता की योजना और विशेष रूप से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन किया - एक परिचालन लेनदार द्वारा दिवाला समाधान, जिसमें ऐसे प्रावधान करने का इतिहास भी शामिल है। इसके बाद, इस न्यायालय ने संहिता की धारा 9 के तहत एक आवेदन प्राप्त करने पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई और निम्नलिखित रूप में निर्धारित किए जाने वाले प्रश्नों का सारांश दिया: -

(ii) क्या दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया है आवेदन से पता चलता है कि उपरोक्त ऋण देय और देय है और

अभी तक भुगतान नहीं किया गया है?

और एम/एस। जय बालाजी इंडस्ट्रीज बनाम। डी. के. मोहंती और ए. एन. आर.

((ग) क्या पक्षकारों के बीच विवाद का अस्तित्व है या ऐसे विवाद के संबंध में अवैतनिक परिचालन ऋण की मांग सूचना की प्राप्ति से पहले दायर किए गए मुकदमे या मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने का रिकॉर्ड है?
यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी एक की कमी है, तो आवेदन को अस्वीकार करना होगा।

14.3 . जैसा कि यहाँ पहले संकेत दिया गया है, निर्णय के प्रासंगिक समय पर

मोबिलॉक्स इनोवेशन्स, संहिता की धारा 8 (2) (ए) में आने वाली अभिव्यक्ति "और" थी, जिसे संहिता के उद्देश्य और प्रावधान के उद्देश्य को देखते हुए "या" के रूप में पढ़ने की आवश्यकता थी। इस पठन को बाद में विधायिका द्वारा आवश्यक संशोधन के माध्यम से विधिवत शामिल किया गया था। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि "और" को विसंगतिपूर्ण स्थिति को रोकने के लिए "या" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए ", यह निर्धारित किया कि परिचालन ऋणों के संबंध में संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ये ऋण परिचालन ऋणदाताओं को समय से पहले कॉर्पोरेट ऋणदाताओं के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम नहीं बनाते हैं, क्योंकि परिचालन ऋणदाताओं को देय ऋण आम तौर पर वित्तीय ऋणदाताओं की तुलना में कम थे। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बाहरी विचार के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत को रोकने के लिए, यह ध्यान देने योग्य था कि पक्षों के बीच एक विवाद मौजूद था। इस अदालत ने कहा,

" 38 ..... हमने यह भी देखा है कि परिचालन ऋण संहिता के उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे ऋणों की राशि, जो आमतौर पर वित्तीय ऋणों की तुलना में कम होती है, परिचालन लेनदारों को कॉर्पोरेट देनदार को समय से पहले दिवालिया समाधान प्रक्रिया में डालने या बाहरी विचारों के लिए प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम नहीं बनाती है। यही कारण है कि यह पर्याप्त है कि पक्षों के बीच विवाद मौजूद है।

14.4 . इस न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण था

विवाद के गुण-दोष की जांच करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यह केवल प्रथम दृष्टया जांच करने के लिए माना जाता था कि क्या पक्षकारों के बीच वास्तव में कोई विवाद मौजूद था, और यह कि वह स्पष्ट रूप से कमजोर या काल्पनिक नहीं था। यदि उपरोक्त का उत्तर सकारात्मक था, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन को अस्वीकार करने की आवश्यकता थी। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित और निर्धारित किया: -

" 51. इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक बार परिचालन लेनदार ने एक आवेदन दायर कर दिया है, जो अन्यथा पूरा हो गया है, निर्णय लेने वाला [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्राधिकरण को धारा 9 (5) (2) (डी) के तहत आवेदन को अस्वीकार करना चाहिए यदि परिचालन लेनदार द्वारा विवाद की सूचना प्राप्त की गई है या

सूचना उपयोगिता में विवाद का रिकॉर्ड है। यह स्पष्ट है कि

इस तरह की सूचना को परिचालन लेनदार के ध्यान में लाना चाहिए

" किसी विवाद का अस्तित्व या यह तथ्य कि कोई वाद या मध्यस्थता

पक्षों के बीच विवाद से संबंधित कार्यवाही लंबित है।

इसलिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को इस स्तर पर यह सब देखना है

यह है कि क्या कोई प्रशंसनीय विवाद है जिसके लिए आगे की आवश्यकता है जांच और यह कि "विवाद" स्पष्ट रूप से कमजोर कानूनी नहीं है

विवाद वास्तव में मौजूद है और नकली, काल्पनिक या काल्पनिक नहीं है। भ्रामक रूप से, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन को अस्वीकार करना पड़ता है। ”

(जोर देने के लिए रेखांकित किया गया)

14.5 . इसके बाद इस न्यायालय ने पहले मामले के तथ्यों की जांच की थी।

इसने और अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार करते हुए इस प्रकार कहा: -

" 56. "विवाद के अस्तित्व" की उपरोक्त परीक्षा को देखते हुए, यह है

एक प्रशंसनीय विवाद उठाया है जिसमें आगे की जांच की आवश्यकता है जो स्पष्ट रूप से कमजोर कानूनी तर्क या दावा नहीं है

साक्षय द्वारा असमर्थित तथ्य। बचाव नकली नहीं है, केवल

शरारत, स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाला। एक विवाद वास्तव में मौजूद है

और अपीलीय न्यायाधिकरण पूरी तरह से गलत था बचाव अस्पष्ट के रूप में, उठा और दायित्व से बचने के लिए प्रेरित हुआ।

15. मुद्दा यह है कि क्या संहिता के प्रावधान हो सकते हैं

परिचालन ऋण के संबंध में लागू किया गया है जहां परिचालन ऋणदाता के खिलाफ एक मध्यस्थ निर्णय पारित किया गया है, लेकिन जिस पर अंतत: निर्णय नहीं लिया गया है, के. किशन (उपरोक्त) के मामले में पूर्ण स्पष्टीकरण के लिए आया है, जो 14.08.2018 पर तय किया गया है।

15.1 . उस मामले में, पक्षों के बीच विवादों को संदर्भित किया गया था

मध्यस्थता के लिए; और मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय 21.01.2017, M/S पर दिया।

जय बालाजी इंडस्ट्रीज बनाम। डी. के. मोहंती और ए. एन. आर.

अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्यर्थी के पक्ष में कुछ दावों की अनुमति देना लेकिन उसके तीन क्रॉस-दावों को अस्वीकार करना। संहिता की धारा 8 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा निगमित देनदार को दिनांकित 06.02.2017 का एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें भुगतान की मांग की गई थी, जिसका जवाब निगमित देनदार द्वारा 16.02.2017 पर दिया गया था, जिसमें मांग पर विवाद किया गया था क्योंकि राशि लंबित मध्यस्थता कार्यवाही का विषय थी, जबकि यह भी कहा गया था कि उनके खातों के अनुसार, बल्कि, प्रत्यर्थी को उन्हें एक बड़ी राशि का भुगतान करना था। 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत पुरस्कार को चुनौती देने वाली एक याचिका कॉर्पोरेट देनदार द्वारा 20.04.2017 पर दायर की गई थी। इसके बाद, प्रतिवादी द्वारा 14.07.2017 पर संहिता की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की गई थी। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा याचिका को इस आधार पर स्वीकार किया कि राशि प्रत्यर्थी के वकील द्वारा स्वीकार की गई थी, जिसने धारा 34 याचिका के लंबित होने के तथ्य को अप्रासंगिक बना दिया; और यह कि पुरस्कार पर रोक नहीं लगाई गई थी। न्यायनिर्णयन के ये निष्कर्ष

अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा प्राधिकरण की पुष्टि की गई थी, जबकि अतिरिक्त रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संहिता की धारा 238 में गैर-बाधा खंड 1996 के अधिनियम को ओवरराइड करेगा। व्यथित होने के कारण, निगमित देनदार को प्राथमिकता दी जाती है

इस न्यायालय के समक्ष एक अपील। 15.2 . इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि प्रतिदावे में से एक को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था और उसी में निर्णय लंबित था

1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर याचिका और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पक्षों के बीच कोई विवाद मौजूद नहीं था। मोबिलॉक्स इनोवेशन्स (उपरोक्त) में इस कथन को दोहराते हुए कि विवाद मांग सूचना की प्राप्ति की तारीख से पहले होना चाहिए, इस पर जोर दिया गया।

अदालत ने कहा कि अपने उद्देश्यों पर, संहिता वसूली कार्यवाही का विकल्प नहीं थी; और एक मध्यस्थता पुरस्कार में एक परिचालन ऋण को एक विलायक कंपनी को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, जो यह बता सकती थी कि पुरस्कार को चुनौती दी जा रही थी। इस न्यायालय ने आगे कहा कि केवल चुनौती का तथ्य यह कहने के लिए पर्याप्त होगा कि पुरस्कार विवाद में था, जिससे यह पहले से चल रहे विवाद का मामला बन जाता है और जहां तक परिचालन ऋणदाताओं का संबंध है, संहिता का उद्देश्य एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया को केवल उन स्पष्ट मामलों में रखना है जहां बकाया ऋण के बारे में पक्षों के बीच वास्तविक विवाद मौजूद नहीं है। इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित शब्दों में खुलासा किया: -

" 22 ..... यह स्पष्ट हो जाता है कि परिचालन लेनदार इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं

दिवाला संहिता या तो समय से पहले या बाहरी के लिए

विचार या ऋण प्रवर्तन प्रक्रियाओं के विकल्प के रूप में। एक मध्यस्थ [2021] 11 एस. सी. आर. में निहित एक परिचालन ऋण का खतरनाक परिणाम।

कहने की एक छोटी राशि के लिए पुरस्कार, दो लाख रुपये, नहीं कर सकते

संभवतः एक अन्यथा विलायक कंपनी को खतरे में डालता है जिसकी कीमत कई है

और चुनौती का मात्र तथ्य यह कहने के लिए पर्याप्त होगा कि यह पुरस्कार का विरोध करता है। ऐसा मामला स्पष्ट रूप से सामने आएगा।

मोबिलॉक्स इनोवेशन्स का पैरा 38, एक पूर्व-विद्यमान का मामला है।

पक्षों के बीच चल रहा विवाद। कोड का उपयोग नहीं किया जा सकता है दो लाख रुपये की इस राशि को निकालने के लिए टेरोरेम

यद्यपि यह अंत में न्यायनिर्णयन कार्यवाही के रूप में देय नहीं हो सकता है

उनका सम्मान अभी भी लंबित है। हम दोहराते हैं कि का उद्देश्य संहिता, कम से कम जहां तक परिचालन लेनदारों का संबंध है, वह है -

एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया को केवल स्पष्ट रूप से रखें ऐसे मामले जहां ऋण के बारे में पक्षों के बीच वास्तविक विवाद हो

ऋण का अस्तित्व नहीं है "।

(जोर देने के लिए रेखांकित किया गया)

15.3 . इस बात पर फिर से जोर देते हुए कि आई. बी. सी. की योजना में,

परिचालन ऋण, जिसे देखना है वह यह है कि क्या ऋण को विवादित कहा जा सकता है, इस न्यायालय ने बिना किसी अनिश्चित शब्दों में कहा कि मध्यस्थता निर्णय को चुनौती देने से एक पूर्व-मौजूदा विवाद दिखाई देता है, जो कम से कम 1996 के अधिनियम की धारा 34 और 37 के संदर्भ में अंतिम न्यायिक प्रक्रिया होने तक जारी रहता है। इस न्यायालय ने मध्यस्थता निर्णय को चुनौती देने के संबंध में दो विविध संभावनाओं का भी संकेत दिया और बताया कि दिवाला प्रक्रिया को कब लागू किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता है। हम लाभप्रद रूप से प्रासंगिक अंशों को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।

के. किशन (ऊपर) में निर्णय इस प्रकार है: -

" 27. हम जोर देकर दोहराते हैं कि हमारे कोड के तहत, जहां तक एक

परिचालन ऋण का संबंध है, यह देखना होगा कि क्या

उक्त ऋण को विवादित कहा जा सकता है और इसमें हमें कोई संदेह नहीं है।

यह कहते हुए कि एक मध्यस्थ के खिलाफ धारा 34 याचिका दायर करना

पुरस्कार, कम से कम धाराओं के तहत अंतिम निर्णय प्रक्रिया तक 34 और 37 हुआ है।

स्पष्ट रूप से सीमा द्वारा वर्जित किया जा सकता है, जिसमें इसे प्रदर्शित किया जा सकता है न्यायालय को कि 90 दिनों की अवधि और विवेकाधीन अवधि एम/एस।

जय बालाजी इंडस्ट्रीज बनाम। डी. के. मोहंती और ए. एन. आर.

30 दिनों की अवधि स्पष्ट रूप से समाप्त हो गई है, जिसके बाद या तो इसके तहत कोई याचिका नहीं है

धारा 34 के तहत धारा 34 दायर की गई है या विलंबित याचिका दायर की गई है।

जहाँ धारा 34 याचिका गलत तरीके से दायर की गई हो। न्यायालय, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता आवेदन का दावा कर सकता है

सीमा अधिनियम की धारा 14 की सीमा की सीमा को पार करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (3) में निर्धारित। ऐसे मामलों में

यह भी स्पष्ट है कि दिवाला प्रक्रिया को लागू नहीं किया जा सकता है।

धारा की प्रयोज्यता पर निर्णय के बिना संचालन

14 सीमा अधिनियम "।

(जोर देने के लिए रेखांकित किया गया)

16. हमारा स्पष्ट मत है कि उपरोक्त उद्धरण हैं -

वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है। जैसा कि देखा गया है, उस तारीख को जब अपीलार्थी ने संहिता की धारा 8 (यानी <आई. डी. 1 पर) के तहत नोटिस देने का विकल्प चुना था, वर्तमान मामले में मध्यस्थता पुरस्कारों को अंतिम रूप नहीं मिला था और 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिकाओं की अस्वीकृति को उसकी धारा 37 के तहत अपीलों में चुनौती दी गई थी। भले ही उक्त अपीलों को चूक में खारिज कर दिया गया हो, प्रतिवादी कंपनी ने अपीलार्थी को अग्रिम सूचना के साथ बहाली के लिए कदम उठाया था। यह एक स्पष्ट मामला नहीं था कि कॉर्पोरेट देनदार चूक में था और कोई पूर्व-मौजूदा विवाद नहीं था।

17. हालाँकि, अपीलार्थी यह सुझाव देना चाहता है कि अपीलों में

डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया है और नोटिस की तारीख तक बहाल नहीं किया गया है, पूर्व-मौजूदा विवाद की आवश्यकता वाला कानून लागू नहीं होता है। इस संबंध में, अपील की बहाली को अपीलार्थी द्वारा 'बाद का विकास' या 'वास्तविक घटना के बाद की घटना' कहा जाना चाहिए। प्रस्तुतियाँ न तो प्रासंगिक तथ्यों के अनुरूप हैं और न ही लागू कानून के अनुरूप हैं।

17.1 . तथ्यात्मक पहलू पर, यह निर्विवाद है कि

भले ही अपीलों को 22.11.2019 पर डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया हो, प्रतिवादी कंपनी ने वास्तव में अपीलार्थी को अग्रिम सूचना के साथ 17.12.2019 पर बहाली के लिए आवेदनों को स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार, नोटिस जारी करने की तारीख (यानी, 14.02.2020) पर, अपीलार्थी को इसके बारे में पता था

तथ्य यह है कि 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत अपीलों पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया था और बहाली के लिए आवेदन [2021] 11 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस तरह की डिफ़ॉल्ट बर्खास्तगी के 30 दिनों के भीतर स्थानांतरित किया गया। के. किशन (उपरोक्त) के उपरोक्त अनुच्छेद 29 में इस न्यायालय द्वारा बताए गए चित्रण के साथ एक समानांतर चित्रण करना दिलचस्प होगा, कि भले ही एक गलत न्यायालय में धारा 34 याचिका दायर की गई हो और सीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत सीमा की सीमा को पार करने के लिए आवेदन किया जा रहा हो, लेकिन दिवालिया प्रक्रिया को बिना किसी निर्णय के लागू नहीं किया जा सकता है।

सीमा अधिनियम की धारा 14 की प्रयोज्यता पर निर्णय। द.

समान सादृश्य एक डिफ़ॉल्ट बर्खास्तगी के संबंध में अधिक जोर और बल के साथ लागू होगा, जहां कोई निर्णय नहीं हुआ था।

गुण-दोष पर और जहां पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना विचाराधीन है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसे मामले में, बहाली के लिए प्रार्थना पर अंतिम निर्णय के बिना, एक परिचालन लेनदार के कहने पर दिवालिया प्रक्रिया को लागू नहीं किया जा सकता है।

18. जिस पर यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, उसके लिए अन्य पहलू

उन सिद्धांतों के संबंध में कि बहाली से कार्यवाही को मूल स्थिति में पुनर्जीवित करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील की बहाली के लिए एक आवेदन को

स्थानांतरित करने और इसे परिचालन लेनदार के ध्यान में लाने का तथ्य, हमारे विचार में, मामले को "पहले से मौजूद विवाद" के चार कोनों के भीतर लाने के लिए पर्याप्त है, ताकि परिचालन लेनदार द्वारा दिवाला समाधान की मांग करने के किसी भी प्रयास को प्रभावी ढंग से नकार दिया जा सके। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि

जिन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, हम अपीलार्थी की सहायक प्रस्तुतियों से भी निपटना उचित समझते हैं। 19. एन. सी. एल. ए. टी. के इस तर्क का विरोध करने के लिए कि अपील की बहाली उसके दाखिल करने की तारीख से संबंधित है, संदर्भ दिया जाता है

अडागाडा राघवम्मा (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय के लिए अपीलार्थी की ओर से। संबंध के सिद्धांत को लागू करने का प्रश्न

संयुक्त हिंदू परिवार के किसी सदस्य द्वारा अलग रहने के अपने इरादे की घोषणा की स्थिति में किस तारीख से स्थिति में विच्छेद हुआ माना जाएगा, इस प्रश्न के मद्देनजर उक्त मामले में पीठ उठ खड़ी हुई। न्यायालय ने पाया कि इस तरह की घोषणा के दो तत्व थे: एक इरादे की अभिव्यक्ति और दूसरा प्रभावित व्यक्तियों के ज्ञान में ऐसी अभिव्यक्ति लाने का होना; और यह पाया गया कि एक बार ज्ञान घर लाया गया (प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर), यह उस तारीख से संबंधित होगा जब इरादा पाया गया था और व्यक्त किया गया था। हालाँकि, इस न्यायालय ने कहा कि इन दो तिथियों के बीच, यानी इरादे की अभिव्यक्ति और इसे प्रभावित व्यक्तियों के ज्ञान में लाने के लिए, कई संभावनाएँ संभव थीं, जिससे अन्य व्यक्तियों में निहित अधिकार पैदा किए जा सकते थे; और यदि एम/एस।

जय बालाजी इंडस्ट्रीज बनाम। डी. के. मोहंती और ए. एन. आर.

संबंध वापस करने के सिद्धांत को बिना किसी सीमा के लागू किया गया था, इस तरह बनाए गए निहित अधिकार प्रभावित होंगे। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सिद्धांत को निहित अधिकारों को प्रभावित नहीं करना चाहिए और दी गई आकस्मिकता को पूरा करने के लिए ऐसी सीमा रखी जा रही है।

19.1 . हाथ में प्रश्न के लिए उपरोक्त उच्चारण का कोई अनुप्रयोग खोजना मुश्किल है। यह सामान्य बात है कि जब कोई मुकदमा या अपील की जाती है

चूक में खारिज किया जाता है और अदालत द्वारा चूक के लिए दिखाए गए कारण पर संतुष्ट होने के बाद बहाल किया जाता है, इस तरह की बहाली डिफ़ॉल्ट बर्खास्तगी से पहले कार्यवाही को उनकी स्थिति में पुनर्जीवित करेगी; और संबंध वापसी का सिद्धांत इस तरह से लागू होगा कि कार्यवाही अपनी मूल स्थिति में जारी रहेगी, जब तक कि बहाली के आदेश में अन्यथा नहीं कहा गया हो या आवश्यक निहितार्थ से बाहर न आए। में बताए गए सिद्धांत

अड्डागदा राघवम्मा (ऊपर) वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है और इस निर्णय का संदर्भ पूरी तरह से अनुचित है।

20. इसी तरह, वरिद जैकब (ऊपर) के मामले में अल्पसंख्यक राय में कुछ टिप्पणियों पर निर्भरता को केवल अस्वीकार किया जा सकता है बल्कि गलत दिशा में।

20.1 . उस मामले में, प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलू यह था कि विभाजन के लिए एक मुकदमे (सिविल सूट संख्या 332/1122) में, अंतिम डिक्री पारित की गई थी।

21.05.1964 पर जिसके तहत, प्रतिवादी संख्या 6 की वसूली की अनुमति दी गई थी

कुछ चीज़ें। 25.06.1969 पर, उक्त मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांकित 21.05.1964 डिक्री को दरकिनार करने के लिए एक और मुकदमा दायर किया, जो 1969 का मुकदमा संख्या 209 था। बाद के मुकदमे में, 25.06.1969 पर, अदालत ने डिक्री-धारक को निष्पादित करने से रोकने के लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की।

डिक्री दिनांकित 21.05.1964। 02.04.1973 पर, 1969 का उक्त मुकदमा संख्या 209 डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, इसे 20.12.1974 पर बहाल किया गया था और फिर, 21.03.1975 पर योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था। उनके खिलाफ अपीलों को प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया था। फिर, 18.03.1981 पर, एक निष्पादन याचिका दायर की गई, जिसमें मुकदमा संख्या 332/1122 में दिनांकित 21.05.1964 डिक्री के निष्पादन की मांग की गई, जिसमें निर्णय-देनदार ने प्रस्तुतियों के साथ सीमा की आपत्ति उठाई।

कि निष्पादन याचिका डिक्री की तारीख से 12 साल के भीतर दायर नहीं की गई थी, यानी 21.05.1964। निष्पादन न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी अभिनिर्धारित किया कि डिक्री-धारक को 25.06.1969 से 21.03.1975 की अवधि के दौरान डिक्री को निष्पादित करने से रोक दिया गया था, यानी उस तारीख जब 1969 के वाद संख्या 209 में अस्थायी निषेधाज्ञा दी गई थी और जब तक कि उस वाद को लागू नहीं किया गया था।

अंत में योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया; और यदि उस अवधि को बाहर रखा गया था, तो निष्पादन [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिका समय पर आ गई थी। इस न्यायालय की 3-न्यायाधीश पीठ के समक्ष अपील में जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या मुकदमे की बहाली के साथ अंतर्वर्ती आदेशों का स्वतः पुनरुद्धार हुआ था।

20.2 . उपरोक्त प्रश्न के संबंध में, बहुमत बनाने वाले विद्वान न्यायाधीशों ने कई निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रश्न, कि क्या बहाली मुकदमे को खारिज करने से पहले पारित सहायक आदेशों को पुनर्जीवित करती है, उन शर्तों पर निर्भर करेगा जिनमें बर्खास्तगी का आदेश पारित किया जाता है और जिन शर्तों में मुकदमा बहाल किया जाता है। यह देखा गया कि पिछले निर्णयों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बर्खास्तगी से पहले पारित अंतर्वर्ती आदेश बर्खास्तगी निर्धारित होने पर मुकदमे के साथ पुनर्जीवित हो जाएंगे। एक तरफ और मुकदमा बहाल किया जाता है, जब तक कि न्यायालय स्पष्ट रूप से या निहितार्थ द्वारा

इस तरह के अंतर्वर्ती आदेशों के संचालन को बाहर करता है; या यदि बीच के अंतराल के दौरान किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में कोई अलगाव था

बर्खास्तगी और बहाली। दिए गए मामले में, बहुमत ने माना कि डिक्री के निष्पादन के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, डिक्री धारक अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के पारित होने की तारीख, यानी 25.06.1969 और अंतिम तिथि के बीच की अवधि को बाहर करने का हकदार था। मुकदमे को खारिज करना, यानी 21.03.1975। दूसरी ओर, अल्पमत की राय व्यक्त करने वाले विद्वान न्यायाधीश ने दोनों के बीच के अंतर की ओर इशारा किया

सिविल प्रक्रिया संहिता की योजना में पूरक कार्यवाहियों और आनुषंगिक कार्यवाहियों और राय दी कि पक्षकारों के अधिकारों को संरक्षित करने वाले एक निर्माण को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए और एक अंतर्वर्ती आदेश जो मुकदमे को खारिज करके अपना बल खो देता है, बहाली पर पुनर्जीवित नहीं हो सकता है, जब तक कि स्पष्ट रूप से निर्देश न दिया जाए।

20.3 . संबंधित मुद्दे के संबंध में अल्पमत की राय में टिप्पणियों पर अपीलार्थी की ओर से बहुत जोर दिया जाता है -

मध्यावधि में अर्जित अधिकारों का कानूनी उपचार। हमारे विचार में, अल्पसंख्यक राय को स्वतंत्र रूप से कानून के एक अलग सिद्धांत को निर्धारित करने के रूप में पढ़ने का कोई भी प्रयास पूर्ववर्ती कानूनों को नियंत्रित करने वाले कानून का सही अनुप्रयोग नहीं होगा। जब हम अलग-अलग विचारों को समग्र रूप से पढ़ते हैं तो प्रस्तुतियाँ तथ्यात्मक रूप से भी सही नहीं होती हैं। बहुमत की राय स्पष्ट और स्पष्ट है जहां उच्च न्यायालयों के कई फैसलों में बताए गए सिद्धांतों को अनुमोदन के साथ देखा गया है, जबकि यह अभिनिर्धारित करते हुए कि डिक्री-धारक उस पूरी अवधि को बाहर करने का हकदार था जिसके दौरान अस्थायी निषेधाज्ञा लागू थी; और यह स्पष्ट रूप से लिया गया था कि जब कोई मुकदमा, जिसे डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था, बहाल हो गया था, तो अस्थायी निषेधाज्ञा के अंतर्वर्ती आदेश को भी बहाल कर दिया गया था क्योंकि डिफ़ॉल्ट बर्खास्तगी के आदेश में इसके विपरीत कुछ भी संकेत नहीं दिया गया था या

पुनर्स्थापना का आदेश।

एम/एस। जय बालाजी इंडस्ट्रीज बनाम। डी. के. मोहंती और ए. एन. आर.

20.4 . हमें यह विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित मामलों में

पीठ में विचारों के विचलन के कारण, यह बहुमत का दृष्टिकोण है जो प्रचलित है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा बाध्यकारी सिद्धांतों और कानून की घोषणा के रूप में लिया जाना चाहिए। यह तर्क देना बहुत दूर की बात है, जैसा कि अपीलार्थी की ओर से प्रयास किया गया है, कि किसी भी प्रश्न या मुद्दे के संबंध में अल्पसंख्यक राय में होने वाले किसी भी अवलोकन को, जिसे बहुमत द्वारा नहीं निपटाया गया है, कानून के बल या प्रेरक मूल्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। प्रस्तुतियाँ सही नहीं हैं और अस्वीकार किए जाने के योग्य हैं।

21. हम यह भी देख सकते हैं कि प्रस्तुत करने का सार अड्डागड़ा में उपरोक्त निर्णयों पर आधारित होना चाहिए।

राघवम्मा और वरिद जैकब का कहना है कि निहित अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। यह प्रस्तुतिकरण एक मौलिक भ्रांति पर आगे बढ़ता है कि 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा दायर अपीलों को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज करने पर, एक परिचालन लेनदार के रूप में अपीलार्थी में कुछ निहित अधिकार बनाए गए थे। में वास्तविक मुद्दा वर्तमान मामला परिचालन लेनदार द्वारा दावा किए जाने वाले धन के संबंध में "पहले से मौजूद विवाद" के बारे में है और जब अपील की लंबितता पूर्व-मौजूदा विवाद के विवरण का जवाब दे रही है, तो इसकी डिफ़ॉल्ट बर्खास्तगी को केवल आंशिक ग्रहण के रूप में माना जा सकता है, जो विवाद को क्षणिक रूप से निष्क्रियता में डाल देता है। बेशक, ऐसा मामला हो सकता है जहां बहाली के लिए आवेदन नहीं किया जाता है और ऐसा मामला भी हो सकता है जहां बहाली से इनकार किया जाता है, जिससे विवाद का प्रभावी अंत हो सकता है, लेकिन जब अपील की बहाली दी जाती है, तो यह निश्चित रूप से विवाद को फिर से सक्रिय कर देता है। वास्तव में, संहिता के उद्देश्य और योजना के लिए, यहां तक कि बहाली के लिए एक आवेदन का लंबित होना भी पर्याप्त है

मामले को "पहले से मौजूद विवाद" के चार कोनों के भीतर लाएं।

22. हमारा आगे स्पष्ट रूप से यह विचार है कि सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदनों को अस्वीकार करने की आवश्यकता थी।

संहिता की धारा 9 (5) (ii) (d) की शर्तें जो ऐसी अस्वीकृति को अनिवार्य करती हैं यदि परिचालन लेनदार द्वारा विवाद की सूचना प्राप्त की गई थी या

सूचना उपयोगिता में विवाद का रिकॉर्ड है। इस मामले में दोनों विशेषताएँ मौजूद हैं। प्रत्यर्थी कंपनी ने स्पष्ट रूप से अपीलार्थी द्वारा भेजे गए नोटिसों का 10 दिनों के भीतर इस दावे के साथ जवाब दिया कि अपीलों की बहाली के लिए आवेदन लंबित थे

उच्च न्यायालय में, जो मांग नोटिस की प्राप्ति से बहुत पहले और अपीलार्थी को अग्रिम नोटिस के साथ दायर किया गया था।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दाखिल करने के दिन ही

अपीलार्थी द्वारा धारा 9 के तहत आवेदनों में से, अर्थात 02.03.2020, अपीलों को वास्तव में उच्च न्यायालय द्वारा बहाल किया गया था। एन. सी. एल. ए. टी. ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि आवेदन, हालांकि 29.02.2020 पर शपथ लिए गए थे, केवल 02.03.2020 पर दायर किए गए थे। इस प्रकार, सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए अपीलों की डिफ़ॉल्ट अस्वीकृति का उपयोग करने के लिए अपीलार्थी के एक इच्छापूर्ण प्रयास ने भी संहिता की धारा 9 के तहत आवेदन दायर करने की तारीख पर अपना आधार खो दिया था। एन. सी. एल. टी. पूरी तरह से गलत कोण से आगे बढ़ा था और 30.09.2020 पर आदेश पारित करते समय भी यह विचार करने के लिए नहीं रुका कि धारा 9 के तहत आवेदन दायर करने की तारीख को अपील बहाल कर दी गई थी। और इसलिए, अपीलार्थी के अति-तकनीकी रुख को भी रद्द कर दिया गया। वास्तव में, एन. सी. एल. टी. ने के. किशन (उपरोक्त) में स्पष्ट और जोरदार व्याख्याओं का पूरी तरह से गलत अर्थ निकाला था।

24. यहाँ ऊपर जो देखा और चर्चा की गई है, उसके लिए हम संतुष्ट हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) ने उचित रूप से अलग कर दिया है।

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा पारित आदेशों और प्रतिवादी कंपनी के खिलाफ कार्यवाही को सही ढंग से बंद कर दिया है। के उदाहरण पर किसी भी हस्तक्षेप पर विचार करने का कोई कारण नहीं है

अपीलार्थी। 25. तदनुसार, ये अपीलें विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया है।

याचिकाएं

खारिज कर दी गईं।

अंकित ज्ञान